

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //


भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

क्रमांक एफ-1(ए)/4/2016/ई/चार :- वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.09.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू पब्लिक फायनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) हेतु गठित स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एस.पी.एम.यू.) में राज्य शासन निम्नांकित को एतद् द्वारा सम्मिलित करता है :-

1. राज्य नोडल अधिकारी-(पी.एफ.एम.एस.)-भारत सरकार का प्रतिनिधि।
2. सहायक नोडल अधिकारी-(पी.एफ.एम.एस.)-भारत सरकार का प्रतिनिधि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,


(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

पृष्ठा.क्रं. एफ-1(ए)/4/2016/ई/चार,
प्रतिलिपि :-

01. वित्त सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली,
02. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
03. शासन के समस्त विभाग,
04. समस्त विभागाध्यक्ष,
05. श्री एस.एस.दुबे (राज्य नोडल अधिकारी) मुख्य लेखा नियंत्रक शहरी विकास, मंत्रालय, नई दिल्ली।
06. श्री संतोष कुमार (सहायक नोडल अधिकारी) वित्त मंत्रालय, सी.बी.डी.टी. नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(विजय कठाने)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग